भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 2900

दिनांक 12.12.2016 को उत्तर दिए जाने के लिए

गांवों में नल के द्वारा पेयजल की आपूर्ति

2900. श्री किरनमय नन्दाः

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान कितने गांवों को नल के द्वारा पेयजल प्रदान किया गया है और प्रत्येक राज्य में ऐसे गांवों का प्रतिशत कितना– कितना है;

(ख) देश के ग्रामीण क्षेत्रों के घरों को नल के द्वारा पेयजल प्रदान करने हेतु विभिन्न राज्यों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) वह लक्षित वर्ष क्या है जब तक प्रत्येक भारतीय अपने घर में कम से कम नल के माध्यम से पेयजल का कनेक्शन प्राप्त करने की उम्मीद कर सकता है?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)

(क) मंत्रालय, बसावटों के संदर्भ में सूचना का रखरखाव करता है और गांवों के संदर्भ में नहीं करता। बसावटों का राज्य-वार विवरण जिन्हें विगत तीन वर्षों के दौरान नल जल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी **अनुलग्नक** में है।

(ख) एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति का निष्पादन राज्यों द्‌वारा किया जाता है। स्कीमें राज्यों द्‌वारा ही अनुमोदित की जाती हैं। वे अपनी स्कीमें/प्रस्ताव अनुमोदन हेतु मंत्रालय को नहीं भेजते।

(ग) मंत्रालय ने 2011-2022 अवधि हेतु ग्रामीण पेयजल क्षेत्र हेतु एक कार्यनीति तैयार की है जो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक परिवारों को नल जल आपूर्ति की सुविधा का विस्तार करने पर बल देती है। वर्ष 2022 तक 90% ग्रामीण परिवारों को पाइप जल आपूर्ति से कवर करने का लक्ष्य है।

अनुलग्नक

दिनांक 12.12.2016 को उत्तर दिए जाने हेतु राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2900 के भाग (क) में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2013-14 के दौरान नल जल आपूर्ति स्कीम से कवर की गई बसावटें	वर्ष 2014-15 के दौरान नल जल आपूर्ति स्कीम से कवर की गई बसावटें	वर्ष 2015-16 के दौरान नल जल आपूर्ति स्कीम से कवर की गई बसावटें	वर्ष 2016-17, 07.12.16 तक के दौरान नल जल आपूर्ति स्कीम से कवर की गई बसावटें	07.12.2016 के अनुसार नल जल आपूर्ति स्कीमों से कवर की गई बसावटें (प्रतिशत में)
1	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	63.5
2	आंध्र प्रदेश	2768	2390	1806	1164	79.89
3	अरुणाचल प्रदेश	342	194	133	38	47.63
4	असम	2595	1751	472	98	38.02
5	बिहार	107	154	100	170	6.09
6	छत्तीसगढ़	1936	1758	296	551	21.77
7	गोवा	0	0	0	0	0
8	गुजरात	3786	2494	1187	375	89.16
9	हरियाणा	590	436	299	150	97.19
10	हिमाचल प्रदेश	2566	2533	1525	569	97.69
11	जम्मू एवं कश्मीर	756	624	230	26	93.65
12	झारखंड	778	1656	437	385	10.55
13	कर्नाटक	16542	14262	18097	6423	86.96
14	केरल	356	221	432	213	100.97
15	मध्य प्रदेश	2407	2687	2214	333	16.55
16	महाराष्ट्र	3689	3391	1510	345	67.92
17	मणिपुर	243	222	80	78	95.99
18	मेघालय	457	256	210	24	57.63
19	मिजोरम	56	50	28	9	90.38
20	नागालैंड	131	190	168	119	96.34
21	ओडिशा	1318	2328	1467	962	23.76
22	पुडुचेरी	0	0	0	0	44.36
23	पंजाब	727	379	159	211	85
24	राजस्थान	2218	2405	2206	476	34.67
25	सिक्किम	75	16	11	14	99.91
26	तमिलनाडु	5726	8530	1390	700	99.38
27	तेलंगाना	-	1605	1371	381	90.51
28	त्रिपुरा	662	981	643	125	70.26
29	उत्तर प्रदेश	1725	3614	1452	22	9.19
30	उत्तराखंड	949	972	478	322	96.3
31	पश्चिमी बंगाल	2879	4865	4745	1592	34.9
कुल		**56384**	**60964**	**43146**	**15875**	**41.09**

(स्रोत: मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली का सी-14 फॉर्मेट)